



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052024-254247  
CG-DL-E-18052024-254247

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]  
No. 363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

### केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2024

सं.ईको- टी1/2024-केविआ.-विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 तक संशोधित "पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक-बोली मार्गनिर्देश" और मानक पारेषण सेवा करार दस्तावेजों की अनुसूची-7 के अनुसरण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविआ), दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 की अवधि के लिए संदाय के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित दर को अधिसूचित करता है।

पारेषण सेवा करार के अनुसार संदाय के प्रयोजन हेतु लागू वार्षिक वृद्धि दर:

क्र.सं.	विवरण	संदाय हेतु वार्षिक वृद्धि दर
1.	संदाय के प्रयोजन हेतु वृद्धि-योग्य पारेषण प्रभागों के लिए वार्षिक मुद्रा स्फीति दर	4.96%

2. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 6 अगस्त, 2021 के "टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (टीबीजीबी) के माध्यम से अंतर-राज्यिक पारेषण सेवा (आईएसटीएस) की उपाप्ति के लिए पुनरीक्षित

दिशानिर्देश और मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अधीन मानक पारेषण सेवा करार की अनुसूची-9 के अनुसार केविआ, दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 की अवधि के लिए एतद् द्वारा छूट दर को अधिसूचित करता है।

पारेषण सेवा करार के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान अपरिहार्य घटना एवं विधि में परिवर्तन के अधीन राहत के अवधारण के लिए छूट दर:

क्र.सं.	विवरण	दर
1	निर्माण अवधि के दौरान अपरिहार्य घटना एवं विधि में परिवर्तन के अधीन राहत के अवधारण के लिए छूट दर	9.25%

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./130/2024-25]

### CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2024

**No. Eco T1/2024-CERC.**— In pursuance of the "Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service", amended up to 10th October, 2008, issued by the Ministry of Power and Schedule-7 of the Standard Transmission Service Agreement documents, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) hereby notifies the following rate for the purpose of payment for the period from 01.04.2024 to 30.09.2024.

#### Annual Escalation Rate applicable for the purpose of payment as per the Transmission Service Agreement:

Sl. No.	Description	Annual Escalation Rate for Payment
1.	Annual inflation rate for escalable transmission charges for the purpose of payment	4.96%

2. In accordance with Schedule-9 of the Standard Transmission Service Agreement under the "Revised Guidelines and Standard Bidding Documents (SBDs) for procurement of Inter-State Transmission Services (ISTS) through Tariff Based Competitive Bidding (TBGB) process" dated 6<sup>th</sup> August 2021 issued by the Ministry of Power, the CERC hereby notifies the following discount rate for the period from 01.04.2024 to 30.09.2024.

#### Discount rate for determining the Relief under Force Majeure Event & Change in Law during Construction Period as per the Transmission Service Agreement:

Sl. No.	Description	Rate
1.	Discount rate for determining the Relief under Force Majeure Event & Change in Law during Construction Period	9.25%

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./130/2024-25]